::1::

प्ररूप 11

{ नियम 34ख (1)(क) देखिए }

संसाधकों व्दारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी (संसाधन के पूरा होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए)

1	संसाधक का नाम	:
2	रजिस्ट्रीकरण सं.	:
3	पता	:

संसाधन की किस्म (वायु संसाधन या सूर्य संसाधन)	संसाधन की प्रारम्भ की तारीख / तारीखें	संसाधन के पूरा होने की तारीख / तारीखें	वह क्षेत्र जिससे हरी पत्तियाँ उपाप्त की गई है सर्वेक्षण विस्तार सं.	क्या हरी पत्तियाँ संसाधक व्दारा उत्पादित की गई थी या दूसरों के व्दारा। यदि दूसरों के व्दारा उत्पादित की गई थीं तो उगाने वाले का नाम और टी.बी.जी.आर.सं.	संसाधित परिमाण
				जोड:	

स्थान:
तारीख:

(संसाधक के हस्ताक्षर)